

लंग्या ए० बी-१४० १७/४८/९२-हथा०/आर०आर०

भारत सरकार •

कार्मिक, लोक शिक्षायत तथा पेशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक १७-११-१९८८

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- प्रतिनियुक्ति पर रुथा नांतरणू अल्पावधिक अनुबंध/रथा नांतरण सहितू
द्वारा नियुक्ति के माम्ले में आयु-सीमा निर्धारित करना ।

मुझे यह कहने लाने निश्चा हुआ है कि कई पदों रे संबंधित भर्ती नियमों में
प्रतिनियुक्ति पर रथा नांतरणू अल्पावधिक अनुबंध/रथा नांतरण सहितू द्वारा नियुक्ति
करने की व्यवस्था है। ऐसे माम्लों रे संबंधित, जहां ऐसी भर्ती-प्रणाली की व्यवस्था
है, वर्तमान निर्देशों में प्रतिनियुक्ति पर रथा नांतरणू अल्पावधिक अनुबंध/रथा नांतरणू
द्वारा नियुक्ति के लिए याक्रता हेतु उमरी आयु-सीमा की व्यवस्था नहीं है।
इसके परिणामस्वरूप कुछ ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति कर ली जाती है जिनका लेवा-
निवृत्ति रे पहले बहुत ही ओड़ा लेवाकाल रह गया होता है। अतः यह दाँछनीय
है कि ऐसे व्यक्तियों की नियुक्तियां न की जाएं क्योंकि इस ओड़े रे लेवा लेवाकाल
में दे उन लंगठनों में, जहां उन्हें नियुक्त दिया जाता है, प्रभावी रूप से वापनी भूमिका
नहीं निभा पाएंगे।

2. अतः संघ लोक लेवा आयोग के परामर्श से इस माम्ले की जांच की गई है और
यह निर्णय लिया गया है कि संघ लोक लेवा आयोग लक्षा संबंधित मंत्रालय/विभाग/
कार्यालय, जैसा भी माम्ला हो, द्वारा आवेदन पत्र की अंतिम प्राप्ति तारीख का
प्रतिनियुक्ति पर रथा नांतरणू अल्पावधिक अनुबंध/रथा नांतरण सहितू नियुक्ति की
जाने के लिए अधिकतम आयु-सीमा ५६ वर्ष से अधिक न हो। अतः इस भर्ती-प्रणाली
द्वारा नियुक्तियां भरने के लिए आवेदन पत्र संगतते रूप से संबंधित घटियन्त्र में इस तथ्य
का स्पष्ट रूप से उल्लेख दिया जाना चाहिए।

3. निवृत्ति मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि दे इस कार्यालय ज्ञापन की विषय दृढ़त
को अन्वेषण बढ़ाव तथा अधीनस्थ कार्यालय के द्यान में ला दें। गृह मंत्रालय से भी अनुरोध
है कि दे उपरोक्त निर्देशों को आवश्यक कार्यालय के लिए संघ शालित प्रशालनों के
द्यान में ला दें।

लेवा में,

१. भारत सरकार के तभी मंत्रालय/विभाग ।
२. मानक दूची के अनुसार ।
३. कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के तभी अधिकारी/अनुभाग ।
४. १०० अतिरिक्त प्रतियां ।
५. संघ लोक लेवा आयोग । २५ अतिरिक्त प्रतियां ।

२५ गोपनीय
१०० गोपनीय परांडे
निवृत्ति

दूरभाष: ३०/१४७९